न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) बड़ीसादड़ी
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर बड़ीसादड़ी (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जितेन्द्र कुमार पाण्डेय R.A.S.

रण सं. 09/2014 ई.रे दिनांक

श्री नाथू पिता लालू जी गुजर निवासी चान्द्राखेड़ी तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौडगढ (राज.)

श्री जगन्नाथ पिता लालू जी गुजर निवासी चान्द्राखेड़ी तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौडगढ (राज.)

– वादीगण

बनाम

श्री भेरू पिता उंकार जी गुजर निवासी चान्द्राखेड़ी तहसील बड़ीसादड़ी जिला चित्तौडगढ (राज.)

– प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183,188 रा. का. अधिनियम

निर्णय

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183,188 के तहत वादपत्र इस आशय का पेश किया कि मौजा चान्द्राखेड़ी तहसील बड़ीसादड़ी में खाता संख्या 63 की आराजी नम्बर 273 रकबा 0.18 हे. गे.मु.आ.चा. में वादीगण का 1/4 हक हिस्सा प्रतिवादी भेरू व उसके भाई चतरभुज , गोटु का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, नारायण पिता मंगना , मु. उदी बेवा मंगना का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा , लालू , सुरेश ,धन्ना ,भंवरलाल पिता प्रताप, मु. सवी पत्नि फत्ता का संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा , शंकर, हीरा पिता वरदा , मु. कत्तूबाई पत्नि वरदा का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा होकर सभी खातेदारान के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे में चली आ रही है। इस आराजी चाह की भूमि को सभी खातेदारान अपने मवैशी बांधने फसल रखने , फसल निकालने के लिये संयुक्त रूप से काम में लेते चले आ रहे है तथा यह आराजी सभी खातेदारान के खाते की अन्य जमीन के बिचों बिच में चाह से लगी हुई है और इस आराजी पर होकर ही मुख्य सडक से सभी खातेदारान अपनी आराजी पर पहूंचते है लेकिन प्रतिवादी भेरूलाल उपरोक्त आराजी पर अवैध अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर मकान बनाने पर आमादा है इस हेतु प्रतिवादी ने इस आराजी पर नींव खोदना और पक्की दिवाल बनाना प्रारम्भ कर दिया है यदि प्रतिवादी ने इस आराजी पर अकेले पक्का निर्माण कर अवैध अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया तो अन्य खातेदारान इस आराजी के

उपयोग उपभोग से वंचित हो जावेंगे तथा रास्ते से अपनी आराजी पर नहीं पहूंच पावेंगे यानि की रास्ता अवरूद्ध जावेगा । वादीगण ने उक्त निर्माण रोकने हेतु प्रतिवादी को कहा फिर भी प्रतिवादी नहीं मान रहा है एवं वादीगण से लड़ाई झगड़ा कर गाली गलोज करने पर आमादा हुआ इसलिये वादीगण की ओर से यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह मौजा चान्द्राखेडी की आराजी नम्बर 273 के किसी भी भू भाग पर अवैध अतिक्रमण कर पक्का निर्माण न करे न करावे तथा दौराने वाद यदि प्रतिवादी पक्का निर्माण कर लेवे एवं रास्ता अवरूद्ध कर देवे तो उक्त अतिक्रमण प्रतिवादी के खर्चे से हटाया जावे। प्रतिवादी को जरीये सम्मन तलब किया । प्रतिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि हम सभी खातेदारान अपने अपने हक हिस्से अनुसार आपसी बटवाड़ा कर उपरोक्त आराजी पर अलग अलग काबिज होकर इसका उपयोग उपभोग कर रहे है तथा प्रतिवादी ने बताया कि अपने हक हिस्से एवं कब्जे के भू भाग पर प्रतिवादी अपने कृषि उपकरण रखने, मवेशी बाधने के लिये ढालियानुमा निर्माण कराया है , प्रतिवादी ने कोई अतिक्रमण नही किया है तथा प्रतिवादी के कोई पुत्र संतान नहीं होने से वादीगण जबरन दबाव डाल कर उसके हिस्से एवं खाते की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते है इस आशय का प्रतिवादी की ओर से काउन्टर क्लेम भी पेश किया जिसका जवाब वादीगण ने प्रस्तुत किया । अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस प्रस्तुत करते हुए कहा कि वाद आराजी नम्बर 273 का है, आराजी नम्बर 273 मे मेरा निर्माण नही है . नम्बर 273 के सटमा मेरी अन्य भूमि है जिस पर मैने निर्माण किया है आराजी नम्बर 277 में उक्त निर्माण है। दोनों पक्षों के दावे एवं जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकियात दिनांक 02–07–2015 को बनाई गई –

1– आया मौजा चान्द्राखेडी की आराजी नम्बर 273 पर प्रतिवादी अवैध अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कार्य करने पर आमादा है इसलिये वादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है – वादीगण

2– आया वादग्रस्त आराजी नम्बर 273 पर प्रतिवादी द्वारा किये गये पक्के निर्माण को वादीगण हटवाने के अधिकारी है जिसका खर्च प्रतिवादी के जिम्मे रहेगा –

– वादीगण

3– आया वादग्रस्त आराजी चाह नम्बर 273 का समस्त खातेदारान ने राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन कर रखा है व बंटवाड़ा कराने के अधिकारी है–

– प्रतिवादी

4- आया प्रतिवादी वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि वादीगण उसके हिस्से पर कब्जा न करें एवं दखलंदाजी न करें -

- प्रतिवादी

5- सहायता

वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी आराजी नम्बर 273 मौजा चान्द्राखेड़ी सम्वत 2067 से 2071, प्रदर्श 2 नक्शा ट्रेस आराजी नम्बर 273, प्रदर्श 3 नकल मोका पर्चा पटवारी हल्का सांगरिया दिनांक 05-03-2014, प्रदर्श 4 रिपोर्ट पटवारी हल्का सांगरिया दिनांक 05-03-2014 आराजी नम्बर 273 मोजा चान्द्राखेड़ी पेश किया । प्रतिवादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं हुआ । वादीगण की ओर से साक्ष्य में पी.डब्ल्यु. 1 जगन्नाथ गुजर, पी. डब्ल्यु. 2 नाथूलाल गुजर (वादीगण) को साक्षी के रूप में पेश किया तथा प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य में डी.ड. 1 भेरूलाल गुजर (प्रतिवादी) डी.ड. 2 नाथूलाल गायरी निवासी भुरक्याकला , डी.ड. 3 गणेश मेघवाल निवासी सांगरिया , डी.ड. 4 किशनलाल गुजर निवासी सांगरिया को पेश कर परीक्षित कराया । दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रतिवाद पत्र , काउन्टर क्लेम, जवाब काउन्टर क्लेम तथा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं गवाहों के बयान का ध्यान पूर्वक मनन कर विचार किया गया एवं अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । इस प्रकरण में प्रथम दो तनकियात को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर है - आया आराजी नम्बर 273 पर प्रतिवादी ने अवैध अतिकमण कर पक्का निर्माण कराया है तथा आया उक्त पक्के निर्माण को वादीगण प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवाने के अधिकारी है - इस बिन्दु पर वादीगण की ओर से वाद पत्र में प्रस्तुत तथ्यों का समर्थन वादीगण की ओर से साक्ष्य में पेश किये गये गवाह जगन्नाथ गुजर एवं नाथुलाल गुजर भी करते है इसके अलावा वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल मौका पर्चा एवं नकल रिकोर्ड पटवारी हल्का सांगरिया दिनांक 05-03-2014 से भी यह तथ्य पाया जाता है कि मौके पर प्रतिवादी भेरूलाल पिता उंकार गुजर ने 8 मीटर लम्बी तथा 3 फीट उंची पक्की दिवार बना रखी है तथा टीन शेड की छांया 8 गुना 8 वर्ग मीटर पर कर रखी है उक्त निर्माण भूमि का रूपान्तरण कराये बिना किया गया है इस मौके पर्चे पर पटवारी हल्का के अलावा वादी नाथूलाल, जगन्नाथ के हस्ताक्षर है तथा प्रतिवादी भेरूलाल की निशानी है इसके अलावा तीन अन्य गवाह के हस्ताक्षर भी मौजूद है जिनके सामने मौका पर्चा बनाया गया था । इसके अलावा प्रतिवादी स्वयं ने अपने जवाब दावे की चरण संख्या 3 , 4, 6 में भी यह स्वीकार किया है कि उसने कृषि उपयोग के

लिये ढालियानुमा निर्माण कराया है । इसके अतिरिक्त प्रतिवादी डी.ड. 1 के साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र में चरण संख्या 2 तथा 4 में भी यह स्वीकार कर रखा है कि उसने वादग्रस्त आराजी पर निर्माण करवा रखा है तथा ढालिया उतार रखा है तथा जिरह में भी प्रतिवादी ने यह बात स्वीकार की है कि तहसीलदार साहब के आदेश से पटवारी हल्का मौके पर आये , जमीन का नाप चोप करके मौका निरीक्षण किया और हम वादीगण व प्रतिवादी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये थे । प्रतिवादी ने यह भी स्वीकार किया है कि मेरे विरूद्ध वादीगण ने रास्ता रोकने के बारे में पुलिस थाना बडीसादडी में रिपोर्ट की थी । प्रतिवादी के गवाह डी.ड. 2 नाथूलाल , डी.ड. 3 गणेश मेघवाल , डी.ड. 4 किशनलाल गुजर ने भी प्रतिपरीक्षण में यह बात स्वीकार की है कि प्रतिवादी भेरूलाल ने कुए की जमीन पर पक्का निर्माण कर 8 मीटर लम्बी व 8 मीटर चोड़ी पक्की दिवार बना दी और उसके उपर चद्दर डाल दिये है । उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों का अवलोकन करने पर इस नतीजे पर पहूंचा हूं कि प्रतिवादी भेरूलाल ने वादग्रस्त आराजी नम्बर 273 की चाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर उसके उपर चद्दर डाल दिये है इस स्थिति में तनकी नम्बर 1 व 2 वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध सिद्ध होने से वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी नम्बर 3 व 4 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है –

– आया आराजी चाह नम्बर 273 का समस्त खातेदारान ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार विभाजन कर रखा है एवं बंटवाड़ा कराने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी वादीगण को कब्जा नहीं करने बाबत जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अधिकारी है– इन दोनों तनकीयों के निर्णय हेतु पत्रावली का अवलोकन किया तो प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा के समर्थन में प्रतिवादी ने ऐसा कोई गवाह या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे यह साबित हो कि आराजी नम्बर 273 का मौके पर सभी खातेदारान ने विभाजन कर रखा हो । चूंकि आराजी चाह का नियमानुसार बंटवाडा नहीं होता है यह आराजी चाह के साथ लगी हुई सभी खातेदारों के संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग के लिये रखी जाती है इसलिये प्रतिवादी इस चाह नम्बर का बंटवाड़ा कराने का भी अधिकारी नहीं है । प्रतिवादी ने काउन्टर क्लेम के माध्यम से वादीगण को कब्जा नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की मांग की है लेकिन प्रतिवादी स्वयं ने तथा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किसी भी गवाह ने यह कथन नहीं किया है कि वादीगण ने प्रतिवादी के हिस्से की आराजी पर कब्जा कर लिया हो इसलिये तनकी नम्बर 3 व 4 प्रतिवादी सिद्ध करने में असमर्थ रहा है इसलिये तनकी नम्बर 3 व 4

प्रतिवादी के विरूद्ध एवं वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है । इस प्रकार वादीगण अपनी ओर से प्रस्तुत वाद में वर्णित तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है इसलिये वाद वादीगण डिकी किये जाने योग्य है।

अतः वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त आराजी चाह नम्बर 273 मोजा चान्द्राखेड़ी के किसी भी भूभाग पर प्रतिवादी भविष्य में अवैध अतिकमण कर पक्का निर्माण कार्य न करें न करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी को पाबंद किया जाता है तथा यह भी आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बड़ीसादड़ी खसरा संख्या 273 का पूर्ण सर्वे सीमांकन कर यह सुनिश्चित करे कि प्रतिवादी का ढालियानुमा 8 गुना 3 मीटर की दिवार का निर्माण किस खसरा में है। यदि निर्माण खसरा नम्बर 273 आराजी चाह संयुक्त भूमि में पाया जावे तो प्रतिवादी के व्यय से हटवाया जावे । इसी अनुसार वाद वादी डिकी किया जाता है तथा इसी आशय का पर्चा डिकी अलग से मुर्बित किया जावे। निर्णय आज दिनांक 26.2.2018 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

जितेन्द्र कुमार पाण्डेय (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) बड़ीसादड़ी चित्तौड़गढ़